न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/440

1. बालूराम आत्मज देवीराम जी जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. सूरजमल आत्मज देवीराम जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. श्रीमती प्रेम पुत्री देवीराम जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता पत्नी हरभजन जाति बैरवा निवासी केथूदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. श्रीमती नुवासी पुत्री देवीराम जी जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता पत्नी मेवालाल जाति बैरवा निवीस केदारा की झौपडियॉ तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रूकमणी पत्नी भैरूलाल जाति धोबी निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामेश्वर आत्मज शंहर जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी द्वारा शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर ।
4. भूमिधारी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/441

1. बालूराम आत्मज देवीराम जी जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. सूरजमल आत्मज देवीराम जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
3. श्रीमती प्रेम पुत्री देवीराम जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता पत्नी हरभजन जाति बैरवा निवासी केथूदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. श्रीमती नुवासी पुत्री देवीराम जी जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल पता पत्नी मेवालाल जाति बैरवा निवीस केदारा की झौपडियॉ तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रूकमणी पत्नी भैरूलाल जाति धोबी निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. भैरूलाल आत्मज चतरा जाति धोबी निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. मोहन आत्मज भैरूलाल जाति धोबी निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. कालू आत्मज भैरूलाल जाति धोबी निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

5. रामेश्वर आत्मज शंहर जाति बैरवा निवासी करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी द्वारा शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर ।
7. भूमिधारी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रामकल्याण शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 28.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट क्रम 1, 2, 4 व 5 तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 एवं कन्या बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 05/2013 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 92 (ए) एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम करवर तहसील नैनवा जिला बून्दी की खसरा नम्बर 491 रकबा 12 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार नन्दा जी थे जिनके दो पुत्र शंकर व चन्द्रा हुए जिनके हिस्से में 1/2 – 1/2 भूमि आई । शंकर के दो पुत्र देवीराम व रामेश्वर उत्पन्न हुए । शंकर के फौत हो जाने से शंकर के हिस्से की 1/2 भूमि उसके पुत्र देवीराम व रामेश्वर के हिस्से में 1/4 – 1/4 आई तथा देवीराम भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादीगण क्रम 1 से 5 हैं जिनका हिस्सा 1/4 है । उक्त भूमि इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रही है । चन्द्रा जी ने अपना 1/2 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 को बेचान कर दिया इस कारण प्रतिवादी क्रम 1 भी उक्त भूमि की सहखातेदार हो गई है । वादग्रस्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 का है । वादीगण के पिता ने अपने सहखातेदार के साथ 35 वर्ष पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया था और उसी अनुसार वे काबिज काश्त रहे । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.12.2012 से अप्रसन्न होकर दिनांक 27.12.2012 को ट्रेक्टर लेकर वादग्रस्त आराजी में दक्षिणी की तरफ स्थित रोड के सहारे की भूमि जो रोड से उत्तरी दिशा की तरफ की 1/2 में जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं तथा उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाकर वादीगण का हिस्सा 1/2 अलग किया जावे तथा विभाजित हिस्से पर वादीगण को कब्जा दिलाया जावे राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन किया जवे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करे ।

5. इसी प्रकार वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 रूकमणी बाई ने अधीनस्थ न्यायालय में एक अन्य दावा संख्या 24/2011 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त आराजी के बाबत् पेश कर कथन किया कि वादिनी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 के हिस्से 1/2 की भूमि पर वादिया का कब्जा मुखालफाना घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 6 के स्थान पर वादिया को समस्त राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अंकित किया जावे और उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादिनी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे और उक्त भूमि से वादिनी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को लोक अदालत में रखते हुए अपने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 के द्वारा वादिनी रूकमणी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 24/2011 स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया एवं वाद संख्या 05/2013 खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने उक्त दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. दोनों अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सूचना दिये बिना रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के लिए लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना वादी के दावे को खारिज किया है । पक्षकारान लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उनको किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई । कोई राजीनामा पक्षकारों के मध्य नहीं हुआ था । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के हस्ताक्षर लोक अदालत में करवाए गये हैं । अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए थे और रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किये गये दावे को स्वीकार कर खातेदारी प्रदान की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 निरस्त फरमाये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है । वादिनी के द्वारा गवाहों के बयान कराये गये

हैं जिन्होंने कब्जा वादिनी का ही बताया है । लोक अदालत की सूचना समस्त पक्षकारों को दी गई थी । अपीलान्ट जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 बहाल रखे जावें ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रेस्पोडेन्ट वादिनी रूकमणी देवी ने हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और एक अन्य दावा अपीलान्टगण ने विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वाद संख्या 24/2011 रूकमीण बनाम बालूराम वगै0 साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी और दूसरी पत्रावली वाद संख्या 05/2013 बालूराम वगै0 बनाम रूकमणी वगै0 साक्ष्य वादी में लम्बित थी जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.07.2017 नियत थी और इससे पूर्व ही दिनांक 13.06.2017 को दोनों वादों को लोक अदालत में रखकर निर्णित कर दिया । लोक अदालत में सिर्फ वादिनी रूकमणी देवी उपस्थित हुई है अन्य कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हुआ है । सीपीसी की पालना किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 17/440 एवं 17/441 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2017 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा